न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 100/2019

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्यामलाल पुत्र साधुराम जाति कुम्हार निवासी 2 एम एल नाथांवाली तह० व जिला श्रीगंगानगर ।

..... वादी

ब ना म

1. साधुराम पुत्र स्व0 मोमनराम जोति कुम्हार निवासी 2 एम एल नाथांवाली तह० व जिला श्रीगंगानगर ।
2. प्रवीण कुमार पुत्र साधुराम जाति कुम्हार निवासी 2 एम एल नाथांवाली तह० व जिला श्रीगंगानगर
3. मानसी पुत्री साधुराम पत्नी भीमसेन जाति कुम्हार निवासी रीको उद्योग विहार, श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।

..... प्रतिवादी गण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री रामगोपाल स्वामी	वादी
अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर	प्रतिवादी 1 ता 3
पैरोकार राज	प्रति.–4

–:: निर्णय ::–

दिनांक 21.12.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी के दादा स्व० मोमनराम पुत्र पोकरराम के नाम से चक 16 एम एल तह० श्री गंगानगर के खाता सं0 53/51, मु0 न० 31, 34 की कुल 1.465 हे0 में से 0.961 हे० खातेदारी दर्ज थी। वादी के दादा का देहांत हो गया तथा वादी की दादी का भी देहांत हो गया तथा विरासत में वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 को चक 2 एम एल के खाता सं0 123/53, मु0 न0 31 के किला न० 16, 22, 23, 24, 25 की कुल 0.440 हे0 प्राप्त हुई, जो कि उसके नाम खातेदारी दर्ज है, दोनों जमाबंदियों की नकलें शामिल है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि जद्दी जायदाद होने से प्रति० सं० 1 के नाम परिवार का मुखिया होने के नाते दर्ज है, जबकि उपरोक्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति के रूप में प्रति० सं० 1 के नाम दर्ज है, जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा बनता है, जो कि 1/4 हिस्सा का हकदार है। प्रतिवादी सं0 3 का विवाह उपरोक्त जद्दी जायदाद की आय से किया जाने के कारण उसने मौखिक पारिवारिक समझौता द्वारा अपने 1/4 हिस्सा को अपने दोनों भाईयों वादी व प्रति० सं० 2 के हक में छोड दिया, इस प्रकार उपरोक्त आराजी 0.440 हे0 में प्रति० सं० 1 का 1/4 हिस्सा बनता है, शेष भूमि के वादी व प्रति० सं० 2 बहिस्सा बराबर के हकदार है अर्थात् उपरोक्त आराजी 0.440 हे0 में 3/4 हिस्सा के हकदार है। प्रति० सं० 1 गलत आदतों का शिकार है तथा गलत लोगों के प्रभाव में है तथा कब्जा संयुक्त होते हुए राजस्व रिकॉर्ड में भूमि प्रति० सं० 1 के नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर समस्त भूमि को मुंतकिल करने के प्रयास में है,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

लोगों से बातचीत कर रहा है जबकि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति होने के कारण बिना वादी की सहमति के व बिना खाता का विभाजन करवाये प्रतिवादी सं0 1 किसी भूमि को कानूनन मुंतकिल करने का अधिकारी नहीं है। अतः यदि वह अपने गलत मकसद में सफल हो गया तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, वह अपने हक हिस्सा से वंचित होगा, अतः वादी के लिए दावा हाजा लाना तथा अपने अधिवक्ता की घोषणा करवाना तथा राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से बार–बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त भूमि में उपरोक्त वर्णित आधारों पर वादी को जद्दी जायदाद होने के कारण व संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति होने के कारण वादी का जन्म से हक हिस्सा होने से उपरोक्त भूमि के 3/4 हिस्सा में से वादी को निस्फ हिस्सा का हकदार मानकर उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये तथा बिना वादी की सहमति व खाता विभाजन करवाये किसी भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने से बाज व ममनु रहे मगर प्रतिवादी सं0 1 लालचवश होने से टालमटोल करते हुए दिनांक 04.08.19 को साफ इंकारी है, जो कि यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, अतः दावा वादी काबिल समाअत अदालतवाला है तथा उचित न्यायशुल्क पर तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के पेश किया जा रहा है। प्रति0 सं0 3 ने हालांकि अपना हक हिस्सा छोडा हुआ है मगर कानूनन हकदार होने से पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा वाद वादी पेश करके अर्ज है कि वाद वादी, बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादी सं० 1 निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें–

1. डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि चक 16 एम एल तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 125/53, मु0न0 31 के किला न० 16, 22 ता 25 की कुल 0.440 हे० वाद–पत्र में अंकित कारणों से जद्दी जायदाद होने तथा वादी का जन्म से हक हिस्सा होने एवं उपरोक्त भूमि वादी व प्रति० सं० 1 ता 3 के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित जद्दी जायदाद के रूप में जो प्रति० सं० 1 के नाम संयुक्त हिन्दु परिवार का मुखिया होने के नाते दर्ज है में वादीया का 3/4 में से 1/2 हिस्सा होने से उसको खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें ।
2. घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि प्रति० सं० 1 बिना वादी की सहमति व बिना खाता विभाजन करवाये उपरोक्त भूमि में से किसी भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने का अधिकारी है ।
3. डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावें कि प्रतिवादी सं0 1 चक 16 एम एल तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 125/53, मु0 न0 31 के किला न0 16, 22 ता 25 की कुल 0.440 हे0 में से किसी भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने, वादी के कब्जा काश्त में स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे ।
4. खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार मकरान मे से मिकर सं0–1 साधूराम के नाम से चक 16 एम एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–225 मु0नं0–31 के कि0नं0–16/3(0.094 है0), कि0नं0–22/4(0.074 है0), कि0नं0–23/4(0.091 है0), कि0नं0–24/4 (0.090है0), कि0 नं0–25/3 (0.091 है०) कुल 0.4400 है0 नहरी कृषि भूमि रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि मिकर सं0–1 साधूराम को उसके पिता स्व श्री मोमनराम से विरास्तन प्राप्त हुई है उपरोक्ता रकबा मिकरान के संयुक्त कब्जा कास्त में है। मिकर सं0–1 साधूराम के परिवार में मिकरान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सं0– 2 ता 4 क्रमशः श्यामलाल, प्रवीण कुमार, मानसी उफ रेणुका जायज वारीसान एंव रकबा में विरास्तन उत्तराधिकारी है, जिनका मिकर सं0–1 साधूराम की तमाम चल व अचल सम्पति में बहिस्सा बराबर–2 का अधिकार बनता है। मिकर सं0–1 साधूराम की वर्तमान में आयु करीब 60 वर्ष की हो चुकी है तथा अक्सर बीमार रहता है। मिकर साधूराम अपने जीवन काल में ही अपनी उक्त वर्णित अचल सम्पति का पारिवारिक घरेलु तौर पर बंटवारानामा करना चाहता है। ताकि भविष्य में मिकर सं0–1 साधूराम की उक्त वर्णित सम्पति पारिवारिक विवाद में खुर्द–बुर्द ना हो सके। मिकर सं0–1 साधूराम के पुत्र मिकर सं0–2 श्यामलाल के साथ गत 5 सालो से उक्त कृषी भूमि रकबा के बंटवारा के संबध में विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। जोकि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में वाद–पत्र सं0–100/2019 व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र सं0–98/2019 पेश कर रखा है जिसमें न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया हुआ है। इस आदेश के विरूद्व मिकर सं0–1 साधूराम द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील पेश कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है। मिकर सं0–1 साधूराम तथा मिकरान सं0– 2 ता 4 के मध्य परस्पर चल रहे विवाद का निस्तारण करने के लिए पंचायत दिनांक 29–2–2024 को की गई जिसमें सर्व श्री संदीपनाथ सरंपच ग्रा0प0 2 एमएल, राजकुमार निमीवाल, मोहनलाल गेदर, इन्द्रजीत खींचा, गंगाराम किलानिया, सुखराज चारण व दोनो पक्षो के पारिवारिक सदस्य यथा मिकर सं0–1 साधूराम, मिकरान सं0–2 ता 4 मौजूद थे। पंचायत द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर सुलह समझाईश परस्पर चल रहे विवाद का निस्तारण करवा दिया है। जिसमें सभी मिकरान स्वेच्छा से सहमत व रजामन्द है। पंचायत मे तय समझौता के अनुसार मिकर सं0–1 साधूराम द्वारा अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से कर दिया हैः–

(1) – मिकर सं0 – 2 श्यामलाल का हिस्सा :–

चक 16 एमएल तह० व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–225 मु0नं0–31 कि0नं0–16/3, 22/4, 23/4, 24/4, 25/3 कुल 0.4400 है0 नहरी कृषि भूमि रकबा में से 1/4 हिस्सा यानि 0.1100 है0 उतरी हिस्सा, जिसके उतर में सतपाल जिन्दल, कृष्णा कोल्ड स्टोर, दक्षिण में मिकर सं0–1 साधुराम का भाग, पूर्व में इण्डस्ट्रीयल फेक्टरी, पश्चिम में आम रास्ता व गंगनहर स्थित है ।

(2) मिकर सं0 – 1 साधुराम का हिस्साः–

चक 16 एमएल तह० व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–225 मु0नं0–31 कि0नं0–16/3, 22/4, 23/4, 24/4, 25/3 कुल 0.4400 है0 नहरी कृषि भूमि रकबा में से 1/4 हिस्सा यानि 0.1100 है० मध्य हिस्सा मिकर सं0– 2 व मिकर सं0–3 से चिपता हुआ मध्य भाग, जिसके उतर में मिकर सं0– 2 श्यामलाल का हिस्सा, दक्षिण में मिकर सं0– 3 प्रवीण कुमार का भाग, पूर्व में इण्डस्ट्रीयल फेक्टरी, पश्चिम में आम रास्ता व गंगनहर स्थित है।

(3) मिकर सं0 – 3 प्रवीण कुमार का हिस्साः–

चक 16 एमएल तह० व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–225 मु0नं0–31 कि0नं0–16/3, 22/4, 23/4, 24/4, 25/3 कुल 0.4400 है0 नहरी कृषि भूमि रकबा में से 1/4 हिस्सा यानि 0.1100 है0 मध्य हिस्सा, (मिकर सं0–1 साधुराम व मिकर सं0–4 मानसी उर्फ रेणुका दोनो के बीच का भाग) जिसके उतर में मिकर सं0–1 साधूराम, दक्षिण में मिकर सं0–4 मानसी उर्फ रेणुका का भाग, पूर्व में खाली कृषि भूमि, पश्चिम में आम रास्ता व गंग नहर स्थित है ।

(4) मिकर सं0–4 मानसी उर्फ रेणुका का हिस्साः–

चक 16 एमएल तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–225 मु0नं0–31 कि0नं0–16/3, 22/4, 23/4, 24/4, 25/3 कुल 0.4400 है० नहरी कृषि भूमि रकबा में से 1/4 हिस्सा यानि 0.1100 है० दक्षिणी हिस्सा, मिकर संव– 3 प्रवीण कुमार से चिपता हुआ भाग जिसके उतर में मिकर सं0– 3 प्रवीण कुमार, दक्षिण में केबीएस हर्बल फेक्टरी, पूर्व में केबीएस हर्बल फेक्टरी, पश्चिम में आम रास्ता व गंग नहर स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि रकबा का घरेलु बंटवारानामा मिकरान द्वारा अपनी– 2 सहमति व रजामन्दी से एक राय होकर समझोता कर अपना –2 हिस्सा उपरोक्तानुसार विभाजित कर लिया है अब उपरोक्त वर्णित रकबा के हिस्सा/बंटवारा के संबंध में कोई किसी प्रकार का विवाद, झगड़ा इत्यादि मिकरान के मध्य नही रहा है। मिकरान मे से मिकर सं0–2 श्यामलाल द्वारा अपने हिस्सा के सबंध मे प्रार्थना–पत्र सं0 100/2019 व स्थाई निषेधाज्ञा प्रा०पत्र सं0–98/2019 माननीयं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश कर रखा है। जिसमें तारीख पेशी 3–7–2024 मुर्करर है। उक्त प्रार्थना–पत्र स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण सं0–98/2019 में पारित आदेश के विरूद्ध मिकर सं0–1 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील पेश कर रखी है जो कि विचाराधीन है जिसमे तारीख पेशी 19–6–2024 मुर्करर है, उपरोक्त प्रकरणो में मिकरान सं0–1 ता 4 परस्पर पक्षकार है। उपरोक्त वर्णित विचाराधीन प्रार्थना–पत्र सं0–100/2019 अर्न्तगत धारा 88,188, 92 राज० काश्तकारी अधि० में मिकरान सं0– 1 ता 4 इस सहमति पत्र (घरेलु बंटवारानामा कृषि भूमि) में वर्णित पैरा सं0–4 के उप पैरा सं–(1) ता (4) के अनुसार व सलंग्न नक्शा अनुसार उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में बंटवारानामा की डिकी पारित करवाने के लिए पाबन्द रहेगे और न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी के आधार पर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि रकबा का बंटवारानामा/ विभाजन राजस्व रिकार्ड में करवाने के लिए पाबन्द रहेगे जिसके लिए सभी पक्षकारान सहमत व रजामन्द है । पक्षकारो के मध्य जो भी परस्पर विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है वोह तमाम मुकदमात अपने – अपने खर्चा पर वापिस लेने के लिए पाबन्द रहेगे। उपरोक्त वर्णित तय शुदा शर्तों की किसी भी पक्षकार द्वारा अवहेलना नही की जावेगी और ना ही किसी की शर्त का उल्लंधन किया जावेगा । लिहाजा यह सहमति–पत्र (घरेलु बंटवारानामा कृषि भूमि) मिकरान द्वारा अपनी – 2 स्वतंत्र सहमति व रजामन्दी से, बिना किसी जबर एव बिना किसी नशापता के स्वस्थ चित हालत में लिखवा दिया है ताकि सन्द रहे ओर वक्त जरूरत काम आवे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत चक 16 एम एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–225 का अवलोकन किया गया। गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात, जमाबन्दी साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

श्यामलाल का हिस्सा :–

1. चक 16 एमएल तह० व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–225 मु0नं0–31 कि0नं0–16/3, 22/4, 23/4, 24/4, 25/3 कुल 0.4400 है0 नहरी कृषि भूमि रकबा में से 1/4 हिस्सा यानि 0.1100 है0 उतरी हिस्सा, जिसके उतर में सतपाल जिन्दल, कृष्णा कोल्ड स्टोर, दक्षिण में मिकर सं0–1 साधुराम का भाग, पूर्व में इण्डस्ट्रीयल फेक्टरी, पश्चिम में आम रास्ता व गंगनहर स्थित है ।

साधुराम का हिस्साः–

2. चक 16 एमएल तह० व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–225 मु0नं0–31 कि0नं0–16/3, 22/4, 23/4, 24/4, 25/3 कुल 0.4400 है0 नहरी कृषि भूमि रकबा में से 1/4 हिस्सा यानि 0.1100 है० मध्य हिस्सा मिकर सं0– 2 व मिकर सं0–3 से चिपता हुआ मध्य भाग, जिसके उतर में मिकर सं0– 2 श्यामलाल का हिस्सा, दक्षिण में मिकर सं0– 3 प्रवीण कुमार का भाग, पूर्व में इण्डस्ट्रीयल फेक्टरी, पश्चिम में आम रास्ता व गंगनहर स्थित है।

प्रवीण कुमार का हिस्साः–

3. चक 16 एमएल तह० व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–225 मु0नं0–31 कि0नं0–16/3, 22/4, 23/4, 24/4, 25/3 कुल 0.4400 है0 नहरी कृषि भूमि रकबा में से 1/4 हिस्सा यानि 0.1100 है0 मध्य हिस्सा, (मिकर सं0–1 साधुराम व मिकर सं0–4 मानसी उर्फ रेणुका दोनो के बीच का भाग) जिसके उतर में मिकर सं0–1 साधूराम, दक्षिण में मिकर सं0–4 मानसी उर्फ रेणुका का भाग, पूर्व में खाली कृषि भूमि, पश्चिम में आम रास्ता व गंग नहर स्थित है ।

मानसी उर्फ रेणुका का हिस्साः–

4. चक 16 एमएल तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–225 मु0नं0–31 कि0 नं0–16/3, 22/4, 23/4, 24/4, 25/3 कुल 0.4400 है० नहरी कृषि भूमि रकबा में से 1/4 हिस्सा यानि 0.1100 है० दक्षिणी हिस्सा, मिकर संव– 3 प्रवीण कुमार से चिपता हुआ भाग जिसके उतर में मिकर सं0–3 प्रवीण कुमार, दक्षिण में केबीएस हर्बल फेक्टरी, पूर्व में केबीएस हर्बल फेक्टरी, पश्चिम में आम रास्ता व गंग नहर स्थित है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner